उत्तर प्रदेश विधान सभा
की
सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति
की
आन्तरिक कार्य-प्रणाली के नियम

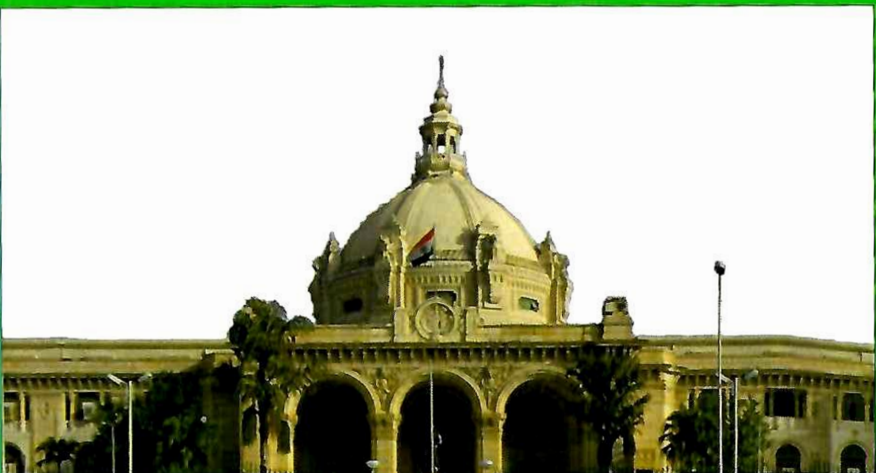

विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति

की

आन्तरिक कार्य-प्रणाली के नियम

विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश,
समिति (सामान्य) अनुभाग-2,
2020

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
1-प्राक्कथन	...	...	...	क
2-समिति के आन्तरिक कार्य-प्रणाली के नियम		...	...	1-4
3-अनुसूची	...	...	...	5-7
4-परिशिष्ट-				
(1) समिति का उद्‌भव तथा उद्‌देश्य		...	...	8-10
(2) समितियों की प्रक्रिया से सम्बन्धित सामान्य नियम			...	11-20
(3) सरकारी आश्वासन से सम्बन्धित नियम ...				21
(4) समिति के सम्बन्ध में सामान्य निदेश		...	...	22
5-माननीय सभापतियों की सूची ...		...		23-25
6-सदन में प्रस्तुत प्रतिवेदनों का विवरण		...	...	26-47

प्राक्कथन

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-233 के अन्तर्गत सदन में दिये गये सरकारी आश्वासनों के सम्बन्ध में एक समिति के गठन का प्राविधान है। सरकारी आश्वासनों से सम्बन्धित यह समिति 21 अक्टूबर, 1955 से कार्यरत है।

अपनी बैठक दिनांक 6 मई, 1986 को समिति ने आन्तरिक कार्य-प्रणाली से सम्बन्धित उपरोक्त नियमावली को अन्तिम रूप दिया था। तदुपरान्त दिनांक 7 मई, 1986 को इस नियमावली पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा का भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया।

प्रस्तुत पुस्तिका में उक्त समिति के गठन और क्रिया-कलापों से सम्बन्धित समस्त विधिक प्राविधानों को भी समाविष्ट करके इसे दिनांक 7 मई, 1986 को प्रकाशित किया गया था। तदुपरान्त नियमावली का यह नवीन संस्करण प्रस्तुत है। आशा है कि यह पुस्तिका माननीय सदस्यों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

लखनऊ :

दिनांक : 07 अगस्त, 2020

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के आन्तरिक कार्य-प्रणाली के नियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

1-(1) यह नियमावली "सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति की आन्तरिक कार्य-प्रणाली नियमावली, 1986" कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 7 मई, 1986 से प्रभावी होगी।

2-इस नियमावली में-

(क) "आश्वासन" का तात्पर्य मंत्रि-परिषद् के सदस्यों द्वारा सदन में दिये गये ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं अथवा अभिकथनों से होगा जो अनुसूची में अंकित शब्दावली के अनुरूप हों।

प्रथम स्पष्टीकरण-श्री राज्यपाल के अभिभाषण में की गई प्रतिज्ञाओं अथवा दिये गये वचनों और मंत्रियों द्वारा प्रतिबन्ध के साथ दिये गये (सशर्त) आश्वासनों को "आश्वासन" नहीं माना जायगा।

द्वितीय स्पष्टीकरण-यदि कभी यह प्रश्न उठे कि कोई प्रतिज्ञा अथवा अभिकथन "आश्वासन" माना जाय अथवा नहीं तो उस प्रश्न पर अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त की जायेगी जो अन्तिम होगी।

(ख) इस नियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में उनके लिये अभिप्रेत है।

3-विधान सभा सचिवालय सदन के प्रत्येक उपवेशन की कार्यवाही का यथासम्भव शीघ्र परीक्षण करके उनमें अंकित आश्वासनों की सूची तैयार करेगा और उन पर संबंधित अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

4-आश्वासनों की सूची अनुमोदित होने के उपरान्त उनकी तीन प्रतियां तैयार की जायेंगी। इनमें से एक प्रति प्रशासकीय विभाग को और दूसरी प्रति शासन के संसदीय विभाग को भेजी जायेगी तथा तीसरी प्रति समिति कार्यालय में रखी जायगी।

5-समिति की बैठक में गणपूर्ति के लिये उसके कुल सदस्यों की संख्या से तृतीयांश से अन्यून होगी किन्तु गणपूर्ति न हो तो सभापति उपवेशन को आधे घण्टे के लिये स्थगित कर देंगे, और पुनः समवेत् होने पर उपवेशन के लिये गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की पचमांश से अन्यून होगी।

6-प्रत्येक आश्वासन की पूर्ति के लिये, प्रारम्भ में प्रशासकीय विभागों को तीन महीने का समय दिया जायेगा। मांग किये जाने पर छः माह का समय दिया जा सकता है, परन्तु वह समय किसी भी हालत में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

7-यदि एक वर्ष बीत जाने पर भी सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों को बिना किसी समुचित कारण के पूरा नहीं किया जाता है तो समिति को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे आश्वासनों पर विचार जारी रखे या नहीं।

8-समिति कार्यालय द्वारा लिखे गये पत्रों के उत्तर में सरकारी विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को लिखे गये पत्रों को पृष्टांकित किया जाना उसका समुचित उत्तर नहीं माना जायेगा।

9-समिति कार्यालय आश्वासनों से सम्बन्धित एक ऐसा विवरण (चार्ट) तैयार करेगा जिसमें एक ओर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन अंकित रहेंगे और उसके सामने सरकारी विभागों से आश्वासन की पूर्ति हेतु की गई सूचनाओं का संक्षिप्त विवरण अंकित रहेगा। जहां सरकारी विभागों से कोई उत्तर न मिला हो, वहां उनको भेजे गये पत्र तथा स्मरण-पत्रों का विवरण अंकित किया जायेगा।

10-जब समिति की बैठकें होंगी तो मा0 सदस्यों को उक्त विवरण की साईक्लोस्टाइल्ड प्रतियां वितरित की जायेंगी। समिति आश्वासनों द्वारा उनके सम्बन्ध में सरकारी विभागों द्वारा की गई कार्यवाही देखकर निर्णय लेगी कि आश्वासन पूर्ण माना जाय अथवा उसके सम्बन्ध में कोई अन्य कार्यवाही की जाय।

11-जिन आश्वासनों की पूर्ति के सम्बन्ध में समिति यह अनुभव करे कि उसमें सरकार द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई अथवा अनावश्यक विलम्ब किया गया है तो विभागीय सचिव को साक्ष्य हेतु बुला सकेगी अथवा तत्सम्बन्धी पत्रावली आदि को देखने हेतु मांग सकेगी।

12-समिति आश्वासन से सम्बन्धित किसी भी स्थान पर स्थल निरीक्षण स्वयं अथवा किसी उप समिति या अध्ययन दल का गठन कर ऐसा निरीक्षण कर सकेगी :

परन्तु ऐसी उप समिति या अध्ययन दल द्वारा निरीक्षण के उपरान्त मुख्य समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा जिस पर मुख्य समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

13-समिति कार्यालय समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार करायेगा और सभापति से उसका अनुमोदन करायेगा।

14-समिति द्वारा किसी सरकारी अधिकारी का साक्ष्य लिये जाने पर कार्यवाही का अक्षरशः विवरण तैयार किया जायेगा और बैठक की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारी द्वारा लिये गये साक्ष्य की पुष्टि करायी जायेगी। पुष्टि में किसी भी अधिकारी को अपने साक्ष्य में कही गई बात में ऐसा संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा जिससे उसके भाव में परिवर्तन हो जाय। यदि कोई अधिकारी प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपने साक्ष्य की पुष्टि नहीं करेगा तो उनके द्वारा समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य अन्तिम माना जायेगा।

15-समिति के समक्ष जो भी पत्रादि प्रस्तुत किये जायेंगे वे गोपनीय समझे जायेंगे और सभापति की अनुमति के बिना किसी को सूचित नहीं किये जायेंगे।

16-समिति कार्यालय, समिति द्वारा आश्वासनों के संबंध में उसके कार्यालय में की गई संस्तुतियों तथा लिये गये निर्णयों का एक प्रतिवेदन तैयार करेगा जो सभापति के अनुमोदन के पश्चात् समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

17-समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के पश्चात् यथाशीघ्र उसकी प्रतियां सभा के सदस्यों, शासन तथा संबंधित अधिकारियों तथा विभागों को उपलब्ध करा दी जायेंगी।

18-ये नियम केवल समिति की आन्तरिक कार्य-प्रणाली से सम्बन्धित है। इसमें उन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है जो प्रक्रिया नियमावली में अंकित है। जहां कहीं इन नियमों तथा प्रक्रिया नियमावली में असंगति प्रतीत हो वहां पर प्रक्रिया नियमावली ही प्रस्तुत मानी जायेगी।

अनुसूची

[देखिये नियम-2 (क)]

आश्वासनों के रूप

1-विषय विचाराधीन है।

2-मैं इसकी जांच करूंगा।

3-जांच की जा रही है।

4-मैं माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

5-इसका संबंध मुख्यतया केन्द्रीय सरकार से है किन्तु मैं इसकी जांच करूंगा।

6-मैं राज्य सरकारों से लिखा पढ़ी करूंगा।

7-मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि माननीय सदस्य के सुझावों पर पूर्ण रूप से विचार किया जायगा।

8-मैं अपने दौरे में स्थान पर परिस्थितियों का अध्ययन करूंगा।

9-मैं विषय पर विचार करूंगा।

10-मैं इस पर विचार करूंगा।

11-मैं राज्य सरकारों को सुझाव दूंगा।

12-हम इस विषय को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

13-मैं देखूंगा कि इस विषय में क्या किया जा सकता है।

14-कोई बात कहने के पूर्व मैं मामले की जांच करूंगा।

15-सुझाव पर विचार किया जायेगा।

16-इस विषय के ऊपर ...... को होने वाली ..... कान्फ्रेंस में विचार किया जायेगा।

17-इस मामले की अब भी जांच हो रही है, यदि किसी कार्य के करने की आवश्यकता पड़ी तो वह अवश्य किया जायेगा।

18-इस विषय पर ...... सरकार को लिखा जायेगा।

19-मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है किन्तु मैं इस विषय में जांच करने के लिये तैयार हूं।

20-आवश्यक सूचना संग्रह करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

21-नियमों को बनाते समय सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा।

22-यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं तो मैं और आदेश जारी करूंगा।

23-रिपोर्ट की प्रतिलिपि पूर्ण होने पर सदन के पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

24-मैं इसे माननीय सदस्य को दूंगा।

25-मेरा विचार है कि यह किया जा सकता है।

26-यदि माननीय सदस्य का आरोप सत्य है तो मैं अवश्य मामले की छानबीन करूंगा।

27-हमें उसकी खोज करनी ही पड़ेगी।

28-मैं .... सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और आशा करता हूं कि वे इस दशा में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

29-इस कार्य हेतु एक सुझाव है जिस पर विचार किया जायेगा।

30-भिन्न-भिन्न सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों पर विचार किया जायेगा और उसके फल की सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी।

31-मैं परिस्थिति का अध्ययन कर रहा हूं।

32-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति द्वारा दिये गये निर्देश जिनमें मंत्रियों से कार्यवाही अपेक्षित हो।

33-सभी निश्चित विषय जिनके संबंध में सूचना मांगी जाय तथा सूचना देने का वचन दिया जाय।

34-यदि मा0 सदस्य लिख कर दे दें तो जांच करा लेंगे।

परिशिष्ट-1

आश्वासन समिति का उद्भव तथा उद्देश्य

जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधि जब संसद या विधान सभाओं में सरकारी नीतियों तथा कार्य-कलापों के विषय में प्रश्न पूछते हैं या प्रस्तावों, संकल्पों अथवा आय-व्ययक पर बहस के समय अपने सुझाव देते हैं अथवा मंत्रि-परिषद् के सदस्यों से किसी कार्य विशेष की अपेक्षा करते हैं और मंत्रिगण उनकी पृच्छाओं का यह कहकर समाधान करने का प्रयास करते हैं कि अमुक विषय पर विचार करेंगे अथवा सूचना बाद में सदन को देंगे अथवा अमुक विषय पर कार्यवाही शासन के विचाराधीन है, तो इस प्रकार सदन में दिये गये आश्वासन, प्रतिज्ञा अथवा वचन आश्वासनों की परिधि में आ जाते हैं, परन्तु श्री राज्यपाल के अभिभाषण में दिये गये आश्वासन अथवा मंत्रियों द्वारा प्रतिबन्ध (शर्त) के साथ दिये गये आश्वासन या वचन आदि आश्वासनों की परिधि में नहीं आते हैं। जब मंत्रि-परिषद् के सदस्यों द्वारा दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं अथवा वचनों का अनुपालन नहीं होता है, तो उनमें रुचि रखने वाले सदस्यगण बार-बार प्रश्न पूछते हैं या आय-व्ययक पर बहस करते समय उक्त मामलों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हैं, किन्तु यह एक अत्यधिक श्रम तथा समय साध्य प्रक्रिया है। सदन को भी यह जानने का अधिकार है कि शासन द्वारा दिये गये आश्वासनों की पूर्ति सदन की अपेक्षानुसार समुचित समय के भीतर की गई है या नहीं। दिसम्बर, 1953 तक लोक सभा अथवा विधान सभाओं में ऐसी कोई समिति नहीं थी जो इस बात की देखभाल करे कि शासन द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति समुचित रूप में की जा रही है अथवा नहीं। दिसम्बर, 1953 में लोक सभा में सरकारी आश्वासनों से सम्बन्धित एक समिति गठित की गई जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति से सम्बन्धित कार्य को देखना था। यह समिति अध्यक्ष लोक सभा द्वारा मनोनीत की गई थी। प्रथम बार इसमें केवल 6 सदस्य मनोनीत किये गये थे। अगले वर्ष मार्च, 1954 में 9 और सदस्यों को मनोनीत किया गया। तदुपरान्त इसी मनोनयन के आधार

पर 15 सदस्यीय आश्वासन समिति का पुनर्गठन प्रति वर्ष किया जाने लगा। इस समिति को यह कार्य दिया गया था कि वह मंत्रियों द्वारा समय-समय पर सदन के अन्दर दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों का परीक्षण करे और सदन को प्रतिवेदित करे कि उक्त आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों की पूर्ति किस रूप में और किस सीमा तक की जा रही है।

इसके बाद राज्य विधान मण्डलों में भी कठिनाई का अनुभव किया गया और जब 1954 में श्रीनगर (काश्मीर) में राज्य विधान मण्डलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ तो उसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया कि लोक सभा की भांति राज्य विधान मण्डलों में आश्वासन समितियों का गठन करने हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाय। तद्नुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम पुनरीक्षण समिति ने अपनी 9 अगस्त, 1954 की बैठक में इसी आशय का एक प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष से यह प्रार्थना की कि वे सदन का मत जानकर आश्वासन समिति का गठन करने की कृपा करें। तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष श्री ए0जी0 खेर ने नियम पुनरीक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर 21 अक्टूबर, 1955 को उत्तर प्रदेश विधान सभा में 15 सदस्यीय प्रथम आश्वासन समिति का गठन कर दिया। ये सभी सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये गये थे और विरोधी दल के सदस्य महाराज कुमार बालेन्दुशाह को इसका सभापति नियुक्त किया गया। तब से प्रतिवर्ष मनोनयन के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम-200 के साथ पठित नियम-233 के अनुरूप 15 सदस्यीय आश्वासन समिति का पुनर्गठन होता आ रहा है।

समिति का कार्यकाल एक वित्तीय वर्ष अथवा नई समिति के गठन तक होता है। समिति का कार्य सरकार सदन के अन्दर दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों का परीक्षण करना और सदन को प्रतिवेदित करना है कि उपरोक्त आश्वासनों का कहां तक परिपालन किया गया है और जहां उनका परिपालन किया गया है वहां ऐसी परिपालन न्यूनतम अवधि के भीतर हुआ है अथवा नहीं।

समिति की प्रथम बैठक 15 दिसम्बर, 1955 को तत्कालीन अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में हुई थी। अपने उद्घाटन भाषण में श्री अध्यक्ष ने कहा था कि समिति के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। प्रायः इस प्रकार की शिकायतें सुनने में आती रहती हैं कि सरकार आश्वासन तो देती है परन्तु उनको पूरा नहीं करती। ऐसे कार्यों को पूरा कराना समिति की कार्यशैली पर निर्भर करेगा। समिति के अन्दर सदस्यों को दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर कार्य करना होगा। माननीय अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि सरकारी आश्वासनों को तेजी के साथ पूरा कराने के सम्बन्ध में सभी सदस्य एक हैं क्योंकि रचनात्मक कार्यों में पार्टियां नहीं हुआ करतीं। उसमें हर पार्टी का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकारी आश्वासनों को पूरा कराने में सहायक हो। यदि उनको पूरा करने में सरकार के सामने कोई कठिनाई हो तो समिति उसे भी देख सकती है। समिति का उद्देश्य सरकार को एक्सपोज करना ही नहीं है। समिति के समक्ष जब सरकारी अधिकारी साक्ष्य के लिये आते हैं तो उनके साथ भी समिति के सदस्यों का व्यवहार शालीनतापूर्ण तथा भाईचारे का होना चाहिये जिससे वे अपनी कठिनाइयों अथवा त्रुटियों को समिति के समक्ष रखने में हिचकिचायें नहीं। श्री अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि प्रारम्भ में लोक सभा की आश्वासन समिति के समक्ष आश्वासनों का कोई निश्चित रूप नहीं था जिससे उनको कुछ कठिनाई हुई परन्तु अब उन्होंने आश्वासनों की एक मानक सूची बना ली है जिससे उनको कार्य करने में सुविधा हो रही है। बाद में समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर लोक सभा में प्रचलित आश्वासन के रूपों को ही अंगीकृत कर लिया जो पीछे अनुसूची में दिये गये हैं।

परिशिष्ट-दो

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली, 1958 में सदन की समितियों की प्रक्रिया से सम्बन्धित सामान्य नियमों का उद्धरण

200-सदन की समितियों की नियुक्ति-

(1) प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय-समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो, विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायेंगी या अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित होंगी :

परन्तु कोई सदस्य किसी समिति में तब तक नियुक्त नहीं किये जायेंगे जब तक कि वे उस समिति में कार्य करने के लिये सहमत न हों।

(2) समिति में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति, यथास्थिति, सदन द्वारा निर्वाचन या नियुक्ति अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशन करके की जायेगी और जो सदस्य ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचित, नियुक्त और नाम-निर्देशित हों उस कालावधि के असमाप्त भाग तक पद धारण करेंगे जिसके लिये वह सदस्य जिसके स्थान पर वे निर्वाचित, नियुक्त अथवा नाम-निर्देशित किये गये हैं, पद धारण करते :

परन्तु समिति की कार्यवाही इस आधार पर न अनियमित होगी और न रुकेगी कि आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति नहीं की गयी है।

200-क-समिति की सदस्यता पर आपत्ति-

जब किसी सदस्य के किसी समिति में सम्मिलित किये जाने पर, इस आधार पर आपत्ति की जाये कि उस सदस्य का ऐसे घनिष्ट प्रकार का वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है कि उससे समिति द्वारा विचारणीय विषयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो प्रक्रिया निम्नलिखित होगी :-

(क) जिस सदस्य ने आपत्ति की हो वह अपनी आपत्ति का आधार तथा समिति के सामने आने वाले विषयों में प्रस्थापित सदस्य के

आरोपित हित के स्वरूप का, चाहे वह वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हो, सुतथ्यतया कथन करेगा,

(ख) आपत्ति का कथन किये जाने के बाद, अध्यक्ष समिति के लिये प्रस्थापित सदस्य को जिसके विरुद्ध आपत्ति की गयी हो, स्थिति बताने के लिये अवसर देगा,

(ग) यदि तथ्यों के सम्बन्ध में विवाद हो तो अध्यक्ष आपत्ति करने वाले सदस्य तथा उस सदस्य से जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गयी हो, अपने-अपने मामले के समर्थन में लिखित या अन्य साक्ष्य पेश करने के लिये कह सकेगा,

(घ) जब अध्यक्ष ने अपने समक्ष इस तरह दिये गये साक्ष्य पर विचार कर लिया हो, तो उसके बाद वह अपना विनिश्चय देगा जो अन्तिम होगा,

(ङ) जब तक अध्यक्ष ने अपना विनिश्चय न दिया हो, वह सदस्य जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गयी हो समिति का सदस्य बना रहेगा, यदि वह निर्वाचित या नाम-निर्देशित हो गया हो, और चर्चा में भाग लेगा, किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा, और

(च) यदि अध्यक्ष यह विनिश्चय करें कि जिस सदस्य की नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गयी है उसका समिति के समक्ष विचाराधीन विषय में कोई वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है, तो उसकी समिति की सदस्यता तुरन्त समाप्त हो जायेगी :

परन्तु समिति की जिन बैठकों में ऐसा सदस्य उपस्थित था उनकी कार्यवाही अध्यक्ष के विनिश्चय द्वारा किसी तरह प्रभावित नहीं होगी।

व्याख्या-इस नियम के प्रयोजनों के लिये सदस्य का हित प्रत्यक्ष, वैयक्तिक या आर्थिक होना चाहिए और वह हित जन साधारण या उसके किसी वर्ग का भाग के साथ सम्मिलित रूप में या राज्य की नीति के किसी विषय में न

होकर उस व्यक्ति का, जिसके मत पर आपत्ति की जाय, पृथक रूप से होना चाहिए।

201-समिति का सभापति-

(1) प्रत्येक समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति के सदस्य हों तो वे समिति के पदेन सभापति होंगे।

(2) यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हों अथवा उनका पद रिक्त हो तो अध्यक्ष उनके स्थान में अन्य सभापति नियुक्ति कर सकेंगे।

(3) यदि समिति के सभापति समिति के किसी उपवेशन से अनुपस्थित हों तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक के सभापति का कार्य करने के लिये निर्वाचित करेगी।

202-गणपूर्ति-

(1) किसी समिति का उपवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति समिति के कुल सदस्यों की संख्या से तृतीयांश से अन्यून होगी जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न हो।

(2) समिति के उपवेशन के लिये निर्धारित किसी समय पर या उपवेशन के दौरान किसी समय पर यदि गणपूर्ति न हो तो सभापति उपवेशन को आधे घण्टे के लिये स्थगित कर देंगे और पुनः समवेत् होने पर उपवेशन के लिये गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की पंचमांश से अन्यून होगी। यदि पुनः समवेत् उपवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के पंचमांश से भी न्यून रहे तो उपवेशन को किसी भावी तिथि के लिये स्थगित कर दिया जायेगा।

(3) जब समिति उप नियम (2) के अन्तर्गत समिति के उपवेशन के लिये निर्धारित दो लगातार दिनांकों पर स्थगित हो चुकी हो तो सभापति इस तथ्य को सदन को प्रतिवेदित करेंगे :

परन्तु जब समिति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई हो तो सभापति स्थगन के तथ्य को अध्यक्ष को प्रतिवेदित करेंगे।

(4) ऐसा प्रतिवेदन किये जाने पर, यथास्थिति, सदन या अध्यक्ष यह विनिश्चित करेंगे कि आगे क्या कार्यवाही की जाय।

203-समिति के उपवेशनों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाया जाना तथा उनके स्थान की पूर्ति-

(1) यदि कोई सदस्य किसी समिति के लगातार 3 उपवेशनों से सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहें तो ऐसे सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के उपरान्त उस समिति से उनकी सदस्यता अध्यक्ष की आज्ञा से समाप्त की जा सकेंगी, और समिति में उनका स्थान अध्यक्ष की ऐसी आज्ञा के दिनांक से रिक्त घोषित किया जा सकेगा।

(2) नियम-200 के उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी उप नियम (1) के अन्तर्गत रिक्त स्थान की पूर्ति, अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य सदस्य को नाम-निर्देशित करके की जा सकेगी।

प्रथम-स्पष्टीकरण-

इस नियम के अधीन उपवेशनों की गणना हेतु लखनऊ से बाहर आयोजित उपवेशनों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

द्वितीय स्पष्टीकरण-

यदि कोई सदस्य समिति के उपवेशन में भाग लेने हेतु लखनऊ आये हों, किन्तु उपवेशन में भाग न ले सके हों और लखनऊ जाने की लिखित सूचना वह प्रमुख सचिव को उपवेशन की तिथि को ही उपलब्ध करा दें, तो इस नियम के प्रयोजन के लिये उन्हें उक्त तिथि को अनुपस्थित नहीं समझा जायेगा।

204-सदस्य का त्याग-पत्र-

कोई सदस्य समिति में अपने स्थान को स्वहस्तलिखित पत्र द्वारा जो अध्यक्ष को सम्बोधित होगा, त्याग सकेंगे।

205-समिति की पदावधि-

इनमें से प्रत्येक समिति के सदस्यों की पदावधि एक वित्तीय वर्ष होगी :

परन्तु इन नियमों के अन्तर्गत निर्वाचित या नाम-निर्देशित समितियां, जब तक विशेष रूप से अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाय, उस समय तक पद धारण करेंगी जब तक कि नई समिति नियुक्त न हो जाय।

206-समिति में मतदान-

समिति के किसी उपवेशन में समस्त प्रश्नों का निर्धारण उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मताधिक्य से होगा। किसी विषय में मत साम्य होने की दशा में सभापति का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

207-उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति-

(1) इन नियमों के अन्तर्गत इनमें से कोई भी समिति किन्हीं ऐसे विषयों की जो उसे निर्दिष्ट किये जायं, जांच करने के लिए एक या अधिक उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जिनमें से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप-समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जायेंगे, यदि वे सम्पूर्ण समिति के किसी उपवेशन में अनुमोदित हो जायं।

(2) उप-समिति के निर्देश-पत्र में अनुसंधान के लिये विषय या विषयों का स्पष्टतया उल्लेख होगा। उप-समिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

208-समिति के उपवेशन-

समिति के उपवेशन ऐसे समय और दिन में होंगे जो समिति के सभापति द्वारा निर्धारित किया जाय :

परन्तु यदि समिति का सभापति सुगमतया उपलब्ध न हो अथवा उनका पद रिक्त हो तो प्रमुख सचिव, उपवेशन का दिन और समय निर्धारित कर सकेंगे।

209-समिति के उपवेशन उस समय हो सकेंगे जब सदन का उपवेशन हो रहा हो-

समिति के उपवेशन उस समय हो सकेंगे जब सदन का उपवेशन हो रहा हो :

परन्तु सदन में विभाजन की मांग होने पर समिति के सभापति समिति की कार्यवाहियों को ऐसे समय तक के लिये निलम्बित कर सकेंगे जो उनकी राय में सदस्यों को विभाजन में मतदान करने का अवसर दे सकें।

210-उपवेशनों का स्थान-

समिति के उपवेशन, विधान भवन, लखनऊ में किये जायेंगे और यदि यह आवश्यक हो जाय कि उपवेशन का स्थान विधान सभा के बाहर परिवर्तित किया जाय तो यह मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

211-साक्ष्य लेने व पत्र, अभिलेख अथवा दस्तावेज मांगने की शक्ति-

(1) किसी साक्षी को प्रमुख सचिव के हस्ताक्षरित आदेश द्वारा आहूत किया जा सकेगा और वह ऐसे दस्तावेजों को पेश करेगा जो समिति के उपयोग के लिये आवश्यक हों।

(2) यह समिति के स्वविवेक में होगा कि वह अपने समक्ष दिये गये किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय समझे।

(3) समिति के समक्ष रखा गया कोई दस्तावेज समिति के ज्ञान और अनुमोदन के बिना न तो वापस लिया जायेगा और न उसमें रूपान्तर किया जायेगा।

(4) समिति को शपथ पर साक्ष्य लेने और व्यक्तियों को उपस्थित कराने, पत्रों या अभिलेखों के उपस्थापन की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, यदि उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझा जाय :

परन्तु शासन किसी दस्तावेज को पेश करने से इस आधार पर इन्कार कर सकेगा कि उसका प्रकट किया जाना राज्य के हित तथा सुरक्षा के प्रतिकूल होगा।

(5) समिति के समक्ष दिया गया समस्त साक्ष्य तब तक गुप्त एवं गोपनीय समझा जायेगा जब तक समिति का प्रतिवेदन सदन में उपस्थित न कर दिया जाय :

परन्तु यह समिति के स्वविवेक में होगा कि वह किसी साक्ष्य को गुप्त एवं गोपनीय समझे, जिस दशा में वह प्रतिवेदन का अंश नहीं बनेगा।

212-पक्ष या साक्षी समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है-

समिति किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता से कराये जाने की अनुमति दे सकेगी। इसी प्रकार कोई साक्षी समिति के समक्ष अपने द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता के साथ उपस्थित हो सकेगा।

213-साक्षियों की जांच की प्रक्रिया-

समिति के सामने साक्षियों की जांच निम्न प्रकार से की जायेगी :-

(1) समिति किसी साक्षी को जांच के लिये बुलाये जाने से पूर्व उस प्रक्रिया की रीति को तथा ऐसे प्रश्नों के स्वरूप को विनिश्चित करेगी जो साक्षी से पूछे जा सकें।

(2) समिति के सभापति, इस नियम के उप नियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जो वह विषय या तत्सम्बन्धी किसी विषय के सम्बन्ध में आवश्यक समझें।

(3) सभापति समिति के अन्य सदस्यों को एक-एक करके कोई अन्य प्रश्न पूछने के लिये कह सकेंगे।

(4) साक्षी को समिति के सामने कोई ऐसी अन्य संगत बात रखने को कहा जा सकेगा जो पहले न आ चुका हो और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो।

(5) जब किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिये आहूत किया जाय तो समिति की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा जायेगा।

(6) समिति के सामने दिया गया साक्ष्य समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा।

214–समिति के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर–

समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे :

परन्तु यदि सभापति अनुपस्थित हों या सुगमतया न मिल सकते हों तो समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये समिति कोई अन्य सदस्य चुनेगी।

215–उपस्थापन के पूर्व प्रतिवेदन का शासन को उपलब्ध किया जाना–

समिति, यदि वह ठीक समझे, तो वह अपने प्रतिवेदन की प्रतिलिपि को या उसके पूरे किये गये किसी भाग को सदन में उपस्थापित करने से पूर्व शासन को उपलब्ध कर सकेगी। ऐसे प्रतिवेदन जब तक सदन में उपस्थापित नहीं कर दिये जायेंगे तब तक गोपनीय समझे जायेंगे।

216–प्रतिवेदन का उपस्थापन–

(1) समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये हों या समिति के किसी सदस्य द्वारा जो सभापति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों, या सभापति की अनुपस्थिति में या जब वह प्रतिवेदन उपस्थित करने में असमर्थ हो तो समिति द्वारा प्राधिकृत

किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जायेगा और सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

(2) प्रतिवेदन उपस्थित करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाले सदस्य यदि कोई अभ्युक्ति करें तो अपने आपको तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेंगे या समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

(3) सम्बन्धित मंत्री या कोई मंत्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को जब तक के लिये वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।

(4) प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के उपरान्त किन्तु उपस्थिति की तिथि से 15 दिन के भीतर मांग किये जाने पर, अध्यक्ष यदि उचित समझें तो उस प्रतिवेदन पर विचार के लिये समय नियत करेंगे। सदन के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिये जायेंगे।

217-सदन में उपस्थापन से पूर्व प्रतिवेदन का प्रकाशन या परिचालन-

अध्यक्ष, उनसे प्रार्थना किये जाने पर और जब सदन सत्र में न हो समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन या परिचालन का आदेश दे सकेंगे यद्यपि वह सदन में उपस्थापित न किया गया हो। ऐसी अवस्था में प्रतिवेदन आगामी सत्र में प्रथम सुविधाजनक अवसर पर उपस्थापित किया जायेगा।

218-प्रक्रिया के सम्बन्ध में सुझाव देने की शक्ति-

(1) समिति की अध्यक्ष के विचारार्थ उस समिति से सम्बन्धित प्रक्रिया के विषयों पर संकल्प पारित करने की शक्ति होगी जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेंगे जिन्हें वे आवश्यक समझें।

(2) इन समितियों में से कोई अध्यक्ष के अनुमोदन से इन नियमों में सन्निहित उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये प्रक्रिया के विस्तृत नियम बना सकेगी।

219-प्रक्रिया के विषय में या अन्य विषय में निदेश देने की अध्यक्ष की शक्ति-

(1) अध्यक्ष समय-समय पर समिति के सभापति को ऐसे निदेश दे सकेंगे जिन्हें वे उसकी प्रक्रिया और कार्य के संगठन के विनियमन के लिये आवश्यक समझें।

(2) यदि प्रक्रिया के विषय में या अन्य किसी विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो तो सभापति यदि ठीक समझें तो उस विषय को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर देंगे जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

220-समिति का असमाप्त कार्य-

कोई समिति जो सदन के विघटन से पूर्व अपना कार्य समाप्त करने में असमर्थ हो तो वह सदन को प्रतिवेदन देगी कि समिति अपना कार्य समाप्त करने में समर्थ नहीं हो सकी है। कोई प्रारम्भिक प्रतिवेदन, ज्ञापन या टिप्पणी जो समिति ने तैयार की हो या कोई साक्ष्य जो समिति ने लिया हो वह नयी समिति को उपलब्ध कर दिया जायेगा।

221-प्रमुख सचिव, समितियों का पदेन प्रमुख सचिव होगा-

प्रमुख सचिव इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त समस्त समितियों के पदेन प्रमुख सचिव होंगे।

222-समितियों के सामान्य नियमों की प्रवृत्ति-

किसी विशेष समिति के लिये जब तक अन्यथा विशेष रूप से उपबन्धित न हो इस अध्याय के सामान्य नियम के उपबन्ध सब समितियों पर प्रवृत्त होंगे।

परिशिष्ट-तीन

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति से सम्बन्धित नियम का उद्धरण

233-समिति का गठन और उसके कृत्य-

मंत्रियों द्वारा समय-समय पर सदन के अन्दर दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि की छानबीन करने के लिये और निम्न बातों पर प्रतिवेदन करने के लिये सरकारी आश्वासन सम्बन्धी एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित 15 से अनधिक सदस्य होंगे-

(क) ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि का कहां तक परिपालन किया गया है, तथा

(ख) जहां परिपालन किया गया है, तो ऐसा परिपालन उस प्रयोजन के लिये आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुआ है या नहीं :

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायं तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

परिशिष्ट–चार

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या–61 का उद्धरण

61–यदि कोई सदस्य ऐसे प्रश्न पर पुनर्विचार करना चाहे जिस पर समिति पहले ही निर्णय कर चुकी हो तो उन्हें वैसा करने के लिए पहले सभापति की अनुज्ञा लेनी होगी। परन्तु यदि ऐसे प्रश्न पर समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जा चुका हो तब उस पर पुनर्विचार के लिये अध्यक्ष की अनुज्ञा आवश्यक होगी।

आश्वासन समिति के गठन तथा वर्षवार सभापतियों की सूची

वर्ष	सभापति
1955-56	महाराज कुमार बालेन्दुशाह
1956-57	-तदैव-
1957-58	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह
1958-59	-तदैव-
1959-60	-तदैव-
1960-61	श्री यादवेन्द्र दत्त दूबे
1961-62	-तदैव-
1962-63	कुंवर श्रीपाल सिंह
1963-64	-तदैव-
1964-65	श्री कृष्णपाल सिंह
1965-66	-तदैव-
1966-67	श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय
1967-68	श्री कालीचरण अग्रवाल
1968-69	विधान सभा भंग
1969-70	श्री हिम्मत सिंह
1970-71	श्री राम चन्द्र विकल
1971-72	श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी
1972-73	-तदैव-
1973-74	श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी
1974-75	-तदैव-

वर्ष	सभापति
1975-76	श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी
1976-77	कुंवर श्रीपाल सिंह
1977-78	श्री रियासत हुसैन
1978-79	-तदैव-
1979-80	श्री राम रतन सिंह
1980-81	श्री रियासत हुसैन
1981-82	-तदैव-
1982-83	श्री शिवानन्द नौटियाल
1983-84	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त
1984-85	-तदैव-
1985-86	श्री रघुवर दयाल वर्मा
1986-87	श्री बेनी प्रसाद वर्मा
1987-88	श्री राम शरण दास
1988-89	श्री मैनेजर सिंह
1989-90	श्री राम चन्द्र बख्श सिंह
1990-91	-तदैव-
1991-92	श्री सोमांश प्रकाश
1992-93	गठन नहीं हुआ
1993-94	श्री हरेन्द्र सिंह मलिक
1994-95	-तदैव-
1995-96	श्री ऊदल

वर्ष	सभापति
1996-97	17/18 अक्टूबर, 96 से विधान सभा भंग
1997-98	श्री गौरी शंकर एडवोकेट
1998-99	-तदैव-
1999-2000	श्री लालजी वर्मा
2000-2001	-तदैव-
2001-2002	श्री वीरेन्द्र सिंह
2002-2003	श्री श्याम सूरत उपाध्याय
2003-2004	श्री जगदीश नारायण राय
2004-2005	गठन नहीं हुआ
2005-2006	श्री जगदीश नारायण राय़
2006-2007	श्री जगदीश नारायण राय
2007-2008	श्री श्यामदेव राय चौधरी "दादा"
2008-2009	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह
2009-2010	श्री लल्लू सिंह
2010-2011	श्री सुरेश कुमार खन्ना
2011-2012	- तदैव -
2012-2013	- तदैव -
2013-2014	- तदैव -
2014-2015	श्री सतीश महाना
2015-2016	- तदैव -
2016-2017	गठन नहीं हुआ।
2017-2018	श्री श्याम सुन्दर शर्मा
2018-2019	- तदैव -
2019-2020	- तदैव -

आश्वासन समिति के प्रतिवेदनों का विवरण

साधारण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
1	2	3
प्रथम प्रतिवेदन (प्रथम भाग)	1-3-58	21-10-55 से 27-3-57 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 338, पूर्ण आश्वासन 129 तथा अपूर्ण आश्वासन 209।
प्रथम प्रतिवेदन (द्वितीय भाग)	8-8-58	21-10-55 से 18-1-56 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 206, पूर्ण आश्वासन 168 तथा अपूर्ण आश्वासन 38।
प्रथम प्रतिवेदन (तृतीय भाग)	28-5-58	17-2-56 से 30-4-56 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 318, पूर्ण आश्वासन 256 तथा अपूर्ण आश्वासन 62।
प्रथम प्रतिवेदन (चतुर्थ भाग)	2-12-58	1-5-56 से 27-3-57 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 331, पूर्ण आश्वासन 330 तथा अपूर्ण आश्वासन 11।
द्वितीय प्रतिवेदन	2-3-59	16-4-57 से 26-12-57 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 442, पूर्ण आश्वासन 256 तथा अपूर्ण आश्वासन 186।

1	2	3
तृतीय प्रतिवेदन	24-12-59	3-2-58 से 5-4-58 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 316, पूर्ण आश्वासन 190 तथा अपूर्ण आश्वासन 126।
चतुर्थ प्रतिवेदन	25-3-60	22-5-58 से 16-12-58 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 236, पूर्ण आश्वासन 158 तथा अपूर्ण आश्वासन 78।
पंचम प्रतिवेदन	25-7-60	21-10-55 से 27-3-57 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 175, पूर्ण आश्वासन 153 तथा अपूर्ण आश्वासन 22।
षष्ठम् प्रतिवेदन	26-7-60	9-2-59 से 2-4-59 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 233, पूर्ण आश्वासन 161 तथा अपूर्ण आश्वासन 72।
सप्तम् प्रतिवेदन	28-7-60	28-7-59 से 30-12-59 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 134, पूर्ण आश्वासन 77 तथा अपूर्ण आश्वासन 57।
अष्टम् प्रतिवेदन	7-2-61	16-4-57 से 26-12-57 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 186, पूर्ण आश्वासन 133 तथा अपूर्ण आश्वासन 53।

1	2	3
नवम् प्रतिवेदन	24-3-61	9-2-60 से 5-5-60 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 255 पूर्ण आश्वासन 137 तथा अपूर्ण आश्वासन 98।
दशम् प्रतिवेदन	23-8-61	26-7-60 से 7-10-60 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 131, पूर्ण आश्वासन 69 तथा अपूर्ण आश्वासन 62।
ग्यारहवां प्रतिवेदन	14-11-61	2-10-55 से 27-3-57 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 22, पूर्ण आश्वासन 15 तथा अपूर्ण आश्वासन 7।
बारहवां प्रतिवेदन	3-3-62	वर्ष 1958 के आश्वासनों से सम्बन्धित कुल आश्वासन 204, पूर्ण आश्वासन 157 तथा अपूर्ण आश्वासन 47।
तेरहवां प्रतिवेदन (प्रथम भाग)	3-10-62	6-2-61 से 31-3-61 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 177, पूर्ण आश्वासन 107 तथा अपूर्ण आश्वासन 70।
तेरहवां प्रतिवेदन (द्वितीय भाग)	8-2-63	1-4-61 से 19-5-61 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 187, पूर्ण आश्वासन 112 तथा अपूर्ण आश्वासन 75।

1	2	3
चौदहवां प्रतिवेदन	10-12-62	31-3-61 से 6-3-62 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 164, पूर्ण आश्वासन 87 तथा अपूर्ण आश्वासन 77।
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	10-12-62	21-10-55 से 31-3-57 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 7, पूर्ण आश्वासन 4 तथा अपूर्ण आश्वासन 3।
सोलहवां प्रतिवेदन	7-3-63	वर्ष 1959 के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 129, पूर्ण आश्वासन 112 तथा अपूर्ण आश्वासन 17।
सत्रहवां प्रतिवेदन	25-9-63	26-3-62 से 4-6-62 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 147, पूर्ण आश्वासन 74 तथा अपूर्ण आश्वासन 73।
अट्ठारहवां प्रतिवेदन	26-9-63	30-7-62 से 21-9-62 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 259, पूर्ण आश्वासन 110 तथा अपूर्ण आश्वासन 149।
उन्नीसवां प्रतिवेदन	27-9-63	22-8-62 से 14-12-62 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 259, पूर्ण आश्वासन 94 तथा अपूर्ण आश्वासन 165।
बीसवां प्रतिवेदन	23-9-63	6-2-61 से 19-5-61 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 19, पूर्ण आश्वासन 14 तथा अपूर्ण आश्वासन 5।

1	2	3
इक्कीसवां प्रतिवेदन	24-9-63	6-2-63 से 5-4-63 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 210, पूर्ण आश्वासन 66 तथा अपूर्ण आश्वासन 144।
बाइसवां प्रतिवेदन	23-12-63	21-10-55 से 6-3-62 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 489, पूर्ण आश्वासन 309 तथा अपूर्ण आश्वासन 180।
तेइसवां प्रतिवेदन	9-9-64	26-3-62 से 4-5-62 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 73, पूर्ण आश्वासन 55 तथा अपूर्ण आश्वासन 18।
चौबीसवां प्रतिवेदन	15-2-65	30-7-62 से 14-12-62 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 314, पूर्ण आश्वासन 168 तथा अपूर्ण आश्वासन 146 ।
पच्चीसवां प्रतिवेदन	5-3-65	वर्ष 1963 के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 339, पूर्ण आश्वासन 181 तथा अपूर्ण आश्वासन 158।
छब्बीसवां प्रतिवेदन	8-3-65	4-2-64 से 31-3-64 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 172, पूर्ण आश्वासन 60 तथा अपूर्ण आश्वासन 112।
सत्ताइसवां प्रतिवेदन	7-2-66	21-10-55 से 5-3-62 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 180, पूर्ण आश्वासन 127 तथा अपूर्ण आश्वासन 53।

1	2	3
अट्ठाइसवां प्रतिवेदन	21-2-66	26-3-62 से 14-12-62 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 164, पूर्ण आश्वासन 87 तथा अपूर्ण आश्वासन 77।
उन्तीसवां प्रतिवेदन	18-3-66	13-4-64 से 9-9-64 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 124, पूर्ण आश्वासन 50 तथा अपूर्ण आश्वासन 74।
तीसवां प्रतिवेदन	13-4-66	वर्ष 1963 के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 158, पूर्ण आश्वासन 93 तथा अपूर्ण आश्वासन 65।
इकतीसवां प्रतिवेदन	6-12-66	21-10-55 से 6-3-62 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 53, पूर्ण आश्वासन 43 तथा अपूर्ण आश्वासन 10।
बत्तीसवां प्रतिवेदन	21-10-70	28-3-62 से 28-9-65 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 788, पूर्ण आश्वासन 785 तथा अपूर्ण आश्वासन 3।
तैंतीसवां प्रतिवेदन	23-12-70	27-1-66 से 9-12-66 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 472, पूर्ण आश्वासन 384 तथा अपूर्ण आश्वासन 82।
चौंतीसवां प्रतिवेदन	31-8-71	वर्ष 1969 के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 160, पूर्ण आश्वासन 75 तथा अपूर्ण आश्वासन 85।

1	2	3
पैंतीसवां प्रतिवेदन	31-8-71	वर्ष 1966 से 1970 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 778, पूर्ण आश्वासन 415 तथा अपूर्ण आश्वासन 363।
छत्तीसवां प्रतिवेदन	18-1-72	वर्ष 1963 से 1969 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 98, पूर्ण आश्वासन 17 तथा अपूर्ण आश्वासन 81।
सैंतीसवां प्रतिवेदन	18-1-72	35वें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते समय अपूर्ण आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 259, पूर्ण आश्वासन 152 तथा अपूर्ण आश्वासन 107।
अड़तीसवां प्रतिवेदन	4-4-72	वर्ष 1964, 66, 67 तथा 69 की अवधि में दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित, जो समिति के 36वें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते समय अपूर्ण थे तथा 1971 के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 252, पूर्ण आश्वासन 99 तथा अपूर्ण आश्वासन 153।
उन्तालीसवां प्रतिवेदन	24-4-73	26-2-70 से 14-8-72 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 714, पूर्ण आश्वासन 249 तथा अपूर्ण आश्वासन 465।
चालीसवां प्रतिवेदन	13-3-75	वर्ष 1970 से 1972 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 351, पूर्ण आश्वासन 330 तथा अपूर्ण आश्वासन 21।

1	2	3
इकतालीसवां प्रतिवेदन	29-4-75	वर्ष व 1973 के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 311, पूर्ण आश्वासन 273 तथा अपूर्ण आश्वासन 38।
बयालीसवां प्रतिवेदन	9-5-78	वर्ष 1970 से 1973 एवं 1974 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 417, पूर्ण आश्वासन 323 तथा अपूर्ण आश्वासन 94।
तैंतालीसवां प्रतिवेदन	23-2-81	वर्ष 1971 से 1974 एवं 1975 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 484, पूर्ण आश्वासन 419 तथा अपूर्ण आश्वासन 65।
चौवालीसवां प्रतिवेदन	5-4-82	वर्ष 1976 के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 210, पूर्ण आश्वासन 158 तथा अपूर्ण आश्वासन 52।
पैंतालीसवां प्रतिवेदन	5-4-82	वर्ष 1977 के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 374, पूर्ण आश्वासन 284 तथा अपूर्ण आश्वासन 90।
छियालीसवां प्रतिवेदन	23-3-84	वर्ष 1978 के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 809, पूर्ण आश्वासन 587 तथा अपूर्ण आश्वासन 222।
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	22-3-84	वर्ष 1979 के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 422, पूर्ण आश्वासन 279 तथा अपूर्ण आश्वासन 143।
अड़तालीसवां प्रतिवेदन	18-3-86	वर्ष 1982 से 1986 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 583, पूर्ण आश्वासन 476 तथा अपूर्ण आश्वासन 107।

1	2	3
उन्चासवां प्रतिवेदन	10-3-87	वर्ष 1977 से 1982 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 205, पूर्ण आश्वासन 158 तथा अपूर्ण आश्वासन 47।
पचासवां प्रतिवेदन	21-7-87	वर्ष 1977 से 1982 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 453, पूर्ण आश्वासन 386 तथा अपूर्ण आश्वासन 67।
इक्यावनवां प्रतिवेदन	29-3-88	वर्ष 1977 से 1982 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 792, पूर्ण आश्वासन 597 तथा अपूर्ण आश्वासन 195।
बावनवां प्रतिवेदन	6-10-88	वर्ष 1978 से 1986 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 456, पूर्ण आश्वासन 441 तथा अपूर्ण आश्वासन 15।
तिरपनवां प्रतिवेदन	21-2-89	वर्ष 1978 से 1986 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 325, पूर्ण आश्वासन 313 तथा अपूर्ण आश्वासन 12।
चौवनवां प्रतिवेदन	21-2-89	वर्ष 1974 से 1986 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 193, पूर्ण आश्वासन 145 तथा अपूर्ण आश्वासन 48।

1	2	3
पचपनवां प्रतिवेदन	21-2-89	वर्ष 1978 से 1986 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 218, पूर्ण आश्वासन 186 तथा अपूर्ण आश्वासन 32।
छप्पनवां प्रतिवेदन	21-2-89	वर्ष 1978 से 1986 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 208, पूर्ण आश्वासन 170 तथा अपूर्ण आश्वासन 38।
सत्तावनवां प्रतिवेदन	21-2-89	वर्ष 1976 से 1986 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 201, पूर्ण आश्वासन 170 तथा अपूर्ण आश्वासन 31।
अट्ठावनवां प्रतिवेदन	21-2-89	वर्ष 1978 से 1986 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 325, पूर्ण आश्वासन 291 तथा अपूर्ण आश्वासन 34।
उन्सठवां प्रतिवेदन	2-7-90	वर्ष 1978 से 1986 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 212, पूर्ण आश्वासन 195 तथा अपूर्ण आश्वासन 17।
साठवां प्रतिवेदन	2-7-90	वर्ष 1977 से 1986 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 196, पूर्ण आश्वासन 183 तथा अपूर्ण आश्वासन 13।

1	2	3
इकसठवां प्रतिवेदन	22-2-91	वर्ष 1978 से 1986 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 194, पूर्ण आश्वासन 162 तथा अपूर्ण आश्वासन 32।
बासठवां प्रतिवेदन	22-2-91	वर्ष 1981 से 1989 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 160, पूर्ण आश्वासन 138 तथा अपूर्ण आश्वासन 22।
तिरसठवां प्रतिवेदन	22-2-91	वर्ष 1978 से 1990 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 181, पूर्ण आश्वासन 123 तथा अपूर्ण आश्वासन 58।
चौंसठवां प्रतिवेदन	22-2-91	वर्ष 1982 से 1990 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 233, पूर्ण आश्वासन 189 तथा अपूर्ण आश्वासन 44।
पैंसठवां प्रतिवेदन	22-2-91	वर्ष 1980 से 1989 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 187, पूर्ण आश्वासन 162 तथा अपूर्ण आश्वासन 25।
छाछठवां प्रतिवेदन	24-4-92	वर्ष 1977 से 1987 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 491, पूर्ण आश्वासन 453 तथा अपूर्ण आश्वासन 38।

1	2	3
सरसठवां प्रतिवेदन	24-4-92	वर्ष 1978 से 1990 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 306, पूर्ण आश्वासन 225 तथा अपूर्ण आश्वासन 81।
अड़सठवां प्रतिवेदन	24-11-92	वर्ष 1980 से 1989 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 391, पूर्ण आश्वासन 352 तथा अपूर्ण आश्वासन 39।
उन्हत्तरवां प्रतिवेदन	24-11-92	वर्ष 1981 से 1990 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 267, पूर्ण आश्वासन 202 तथा अपूर्ण आश्वासन 65।
सत्तरवां प्रतिवेदन	8-2-95	वर्ष 1978 से 1990 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 242, पूर्ण आश्वासन 179 तथा अपूर्ण आश्वासन 63।
इकहत्तरवां प्रतिवेदन	25-3-98	वर्ष 1978 से 1995 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 208, पूर्ण आश्वासन 208 तथा अपूर्ण सम्मिलित नहीं किये गये।
बहत्तरवां प्रतिवेदन	10-7-98	वर्ष 1988 से 1995 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 225, पूर्ण आश्वासन 225 तथा अपूर्ण सम्मिलित नहीं किये गये।

1	2	3
तिहत्तरवां प्रतिवेदन	10-7-98	वर्ष 1981 से 1992 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 214, पूर्ण आश्वासन 214 तथा अपूर्ण सम्मिलित नहीं किये गये।
चौहत्तरवां प्रतिवेदन	10-7-98	वर्ष 1978 से 1997 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 191, पूर्ण आश्वासन 191 तथा अपूर्ण सम्मिलित नहीं किये गये।
पचहत्तरवां प्रतिवेदन	22-3-99	वर्ष 1978 से 1997 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 205, पूर्ण आश्वासन 205 तथा अपूर्ण सम्मिलित नहीं किये गये।
छिहत्तरवां प्रतिवेदन	22-3-99	वर्ष 1982 से 1998 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 280, पूर्ण आश्वासन 280 तथा अपूर्ण सम्मिलित नहीं किये गये।
सतहत्तरवां प्रतिवेदन	4-1-2000	वर्ष 1982 से 1998 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 159, पूर्ण आश्वासन 159 तथा अपूर्ण सम्मिलित नहीं किये गये।
अठहत्तरवां प्रतिवेदन	11-4-2000	वर्ष 1977 से 1984 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 146, पूर्ण आश्वासन 146 तथा अपूर्ण सम्मिलित नहीं किये गये।

1	2	3
उन्यासीवां प्रतिवेदन	23-10-2000	वर्ष 1982 से 1999 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 155, पूर्ण आश्वासन 155 तथा अपूर्ण सम्मिलित नहीं किये गये।
अस्सीवां प्रतिवेदन	15-5-2001	वर्ष 1982 से 1999 तक की अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल आश्वासन 132, पूर्ण आश्वासन 132 तथा अपूर्ण सम्मिलित नहीं किये गये।
इक्यासियवां प्रतिवेदन	3-9-2002	वर्ष 1986 से वर्ष 2001 तक के अवधि के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल 131 पूर्ण आश्वासन।
बयासियवां प्रतिवेदन	3-9-2002	वर्ष 1984 से वर्ष 2000 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 161 पूर्ण आश्वासन।
तिरासियवां प्रतिवेदन	8-9-2003	वर्ष 1989 से वर्ष 2000 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 128 पूर्ण आश्वासन।
चौरासियवां प्रतिवेदन	11-2-2004	वर्ष 1987 से वर्ष 2000 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 188 पूर्ण आश्वासन।
पच्चासियवां प्रतिवेदन	27-8-2004	वर्ष 1985 से वर्ष 2001 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 149 पूर्ण आश्वासन।

1	2	3
छियासियवां प्रतिवेदन	27-8-2004	वर्ष 1982 से वर्ष 2000 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 168 पूर्ण आश्वासन।
सत्तासियवां प्रतिवेदन	27-8-2004	वर्ष 1984 से वर्ष 2001 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 165 पूर्ण आश्वासन।
अट्ठासियवां प्रतिवेदन	27-8-2004	वर्ष 1985 से वर्ष 2001 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 164 पूर्ण आश्वासन।
नवासियवां प्रतिवेदन	17-11-2004	वर्ष 1989 से वर्ष 2001 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 142 पूर्ण आश्वासन।
नब्बेवां प्रतिवेदन	17-11-2004	वर्ष 1984 से वर्ष 2003 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित। कुल 163 पूर्ण आश्वासन।
इक्यानबेवां प्रतिवेदन	19-11-2004	वर्ष 1981 से वर्ष 2004 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 140 पूर्ण आश्वासन।
बानबेवां प्रतिवेदन	20-7-2005	वर्ष 1984 से वर्ष 2002 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 118 पूर्ण आश्वासन।
तिरानबेवां प्रतिवेदन	20-7-2005	वर्ष 1988 से वर्ष 2003 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 126 पूर्ण आश्वासन।

1	2	3
चौरानबेवां प्रतिवेदन	20-7-2005	वर्ष 1987 से वर्ष 2002 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 147 पूर्ण आश्वासन।
पन्चानबेवां प्रतिवेदन	20-7-2005	वर्ष 1988 से वर्ष 2003 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 118 पूर्ण आश्वासन।
छियानबेवां प्रतिवेदन	20-7-2005	वर्ष 1989 से वर्ष 2003 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 124 पूर्ण आश्वासन।
सत्तानबेवां प्रतिवेदन	20-7-2005	वर्ष 1986 से वर्ष 2003 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 105 पूर्ण आश्वासन।
अट्ठानबेवां प्रतिवेदन	20-7-2005	वर्ष 1983 से वर्ष 2003 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 107 पूर्ण आश्वासन।
निन्यानबेवां प्रतिवेदन	20-7-2005	वर्ष 1986 से वर्ष 2002 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 125 पूर्ण आश्वासन।
सौवां प्रतिवेदन	20-7-2005	वर्ष 1988 से वर्ष 2004 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 116 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ एकवां प्रतिवेदन	23-11-2005	वर्ष 1988 से वर्ष 2005 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 135 पूर्ण आश्वासन।

1	2	3
एक सौ दोवां प्रतिवेदन	23-11-2005	वर्ष 1985 से वर्ष 2004 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 131 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ तीनवां प्रतिवेदन	02-02-2006	वर्ष 1981 से वर्ष 2004 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 127 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ चारवां प्रतिवेदन	02-02-2006	वर्ष 1984 से वर्ष 2004 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 144 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ पांचवां प्रतिवेदन	02-02-2006	वर्ष 1983 से वर्ष 2004 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 133 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ छठवां प्रतिवेदन	17-05-2006	वर्ष 1983 से वर्ष 2005 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 146 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ सातवां प्रतिवेदन	22-11-2006	वर्ष 1989 से वर्ष 2005 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 106 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ आठवां प्रतिवेदन	24-01-2007	वर्ष 1984 से वर्ष 2005 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 119 पूर्ण आश्वासन।

1	2	3
एक सौ नौवां प्रतिवेदन	20-8-2008	वर्ष 1988 से 2005 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 144 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ दसवां प्रतिवेदन	20-8-2008	वर्ष 1988 से 2007 तक के पूर्ण आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 166 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन	20-8-2008	वर्ष 1992 से 2007 तक के पूर्ण आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 162 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ बारहवां प्रतिवेदन	20-8-2008	वर्ष 1987 से 2007 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 144 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन	20-8-2008	वर्ष 1989 से 2005 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 154 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ चौदहवां प्रतिवेदन	20-8-2008	वर्ष 1984 से 2007 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 163 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ पन्दहवां प्रतिवेदन	20-8-2008	वर्ष 1989 से 2007 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 175 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ सोलहवां प्रतिवेदन	20-8-2008	वर्ष 1990 से 2007 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 147 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ सत्रहवां प्रतिवेदन	20-8-2008	वर्ष 1988 से 2005 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 152 पूर्ण आश्वासन।

1	2	3
एक सौ अट्ठारहवां प्रतिवेदन	20-8-2008	वर्ष 1988 से 2008 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 179 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ उन्नीसहवां प्रतिवेदन	19-2-2009	वर्ष 1989 से 2008 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 164 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ ब्रीसहवां प्रतिवेदन	19-2-2009	वर्ष 1985 से 2008 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 173 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ इक्कीसहवां प्रतिवेदन	08-02-2010	वर्ष 1990 से 2008 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 172 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ बाइसहवां प्रतिवेदन	08-02-2010	वर्ष 1983 से 2009 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 163 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ तेइसहवां प्रतिवेदन	08-02-2010	वर्ष 1983 से 2009 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 152 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ चौबीसहवां प्रतिवेदन	08-02-2010	वर्ष 1990 से 2009 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 153 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ पच्चीसहवां प्रतिवेदन	08-02-2010	वर्ष 1984 से 2009 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 152 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ छब्बीसहवां प्रतिवेदन	14-02-2011	वर्ष 1985 से 2009 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 163 पूर्ण आश्वासन।

1	2	3
एक सौ सत्ताइसहवां प्रतिवेदन	14-02-2011	वर्ष 1992 से 2009 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 154 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ अट्ठाइसहवां प्रतिवेदन	14-02-2011	वर्ष 1992 से 2009 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 156 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ उन्तीसहवां प्रतिवेदन	18-09-2013	वर्ष 1987 से 2010 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 150 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ तीसहवां प्रतिवेदन	18-09-2013	वर्ष 1989 से 2010 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 150 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ इकतीसहवां प्रतिवेदन	26-06-2014	वर्ष 1991 से 2012 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 187 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ बत्तीसहवां प्रतिवेदन	16-03-2015	वर्ष 1990 से 2010 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 153 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ तैतीसहवां प्रतिवेदन	16-03-2015	वर्ष 1992 से 2014 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 172 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ चौतीसहवां प्रतिवेदन	24-02-2016	वर्ष 1995 से 2013 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 190 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ पैतीसहवां प्रतिवेदन	24-02-2016	वर्ष 1986 से 2014 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 194 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ छत्तीसहवां प्रतिवेदन	24-02-2016	वर्ष 1986 से 2013 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 167 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ सैतीसहवां प्रतिवेदन	24-02-2016	वर्ष 1983 से 2015 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 169 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ अड़तीसवां प्रतिवेदन	21-12-2017	वर्ष 1988 से 2015 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 153 पूर्ण आश्वासन।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों का विवरण

प्रतिवेदन	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
एक सौ उन्तालीसवां प्रतिवेदन	21-12-2017	वर्ष 2000 से 2015 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 158 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ चालीसवां प्रतिवेदन	22-03-2018	वर्ष 1987 से 2016 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 188 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन	22-03-2018	वर्ष 1999 से 2016 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 153 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ बयालीसवां प्रतिवेदन	28-08-2018	वर्ष 1992 से 2016 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 09 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ तैंतालीसवां प्रतिवेदन	08-02-2019	वर्ष 1997 से 2017 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 107 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ चौवालीसवां प्रतिवेदन	08-02-2019	वर्ष 1994 से 2017 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 84 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ पैंतालीसवां प्रतिवेदन	18-02-2019	वर्ष 1994 से 2018 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 106 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ छियालीसवां प्रतिवेदन	18-02-2019	वर्ष 2001 से 2018 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 107 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ सैंतालीसवां प्रतिवेदन	18-02-2019	वर्ष 1994 से 2018 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 108 पूर्ण आश्वासन।
एक सौ अड़तालीसवां प्रतिवेदन	25-02-2020	वर्ष 1992 से 2019 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है। कुल 108 पूर्ण आश्वासन।

विशेष प्रतिवेदन

1	2	3
प्रथम विशेष प्रतिवेदन	12-3-64	आश्वासन संख्या 23/60 से सम्बन्धित।
द्वितीय विशेष प्रतिवेदन	8-4-65	आश्वासन संख्या 566/62 से सम्बन्धित।
तृतीय विशेष प्रतिवेदन	24-3-66	आश्वासन संख्या 371/62 से सम्बन्धित।
चतुर्थ विशेष प्रतिवेदन	9-12-66	आश्वासन संख्या 41/65 से सम्बन्धित।
पंचम विशेष प्रतिवेदन	3-3-70	आश्वासन संख्या 336/65 से सम्बन्धित।
छठा विशेष प्रतिवेदन	30-8-71	आश्वासन संख्या 347/70 से सम्बन्धित।
सातवां विशेष प्रतिवेदन	19-7-72	आश्वासन संख्या 2780/70 से सम्बन्धित।
आठवां विशेष प्रतिवेदन	28-12-78	आश्वासन संख्या 66/76 से सम्बन्धित।
नवां विशेष प्रतिवेदन	8-2-80	आश्वासन संख्या 208/75 से सम्बन्धित।
दसवां विशेष प्रतिवेदन	8-2-80	आश्वासन संख्या 146/77 से सम्बन्धित।
ग्यारहवां विशेष प्रतिवेदन	5-4-82	आश्वासन संख्या 198/75, 20/76 तथा 161/77 से सम्बन्धित।
बारहवां विशेष प्रतिवेदन	1-3-83	आश्वासन संख्या 127/76 से सम्बन्धित।
तेरहवां विशेष प्रतिवेदन	1-3-83	आश्वासन संख्या 252/75, 363/75, 108/76, 271/78 तथा 325/78 से सम्बन्धित।
चौदहवां विशेष प्रतिवेदन	1-3-83	आश्वासन संख्या 25/79 तथा 86/79 से सम्बन्धित।
पन्द्रहवां विशेष प्रतिवेदन	10-3-87	आश्वासन संख्या 195/80, 558/80, 102/80 से सम्बन्धित।
सोलहवां विशेष प्रतिवेदन	30-3-89	आश्वासन संख्या 194/87 से सम्बन्धित।
सत्रहवां विशेष प्रतिवेदन	4-1-2000	आश्वासन संख्या 303/90 से सम्बन्धित।

पी0एस0यू0पी0-एल0 53 विधान सभा (90)-10-08-2020-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।